सं. : 1:05:138 :II:सीएस
दिनांक: 08.02.2024

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,	बीएसई लिमिटेड,
लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा – कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई – 400 051.	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, मंजिल – 25, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001.

विषय: बोर्ड बैठक का परिणाम - सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसार सूचना।

महोदया/महोदय,

हमारे 29.01.2024 और 05.02.2024 के पूर्ववर्ती पत्रों के अनुक्रम में, आपको सूचित किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज दिनांक 08.02.2024 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया और अपना अनुमोदन प्रदान किया:

1. 31.12.2023 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित) और 31.12.2023 को समाप्त नौ माह के लिए गैर-लेखापरीक्षित अंतरिम वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित)।

   सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार, 31.12.2023 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित) और 31.12.2023 को समाप्त नौ माह के लिए गैर-लेखापरीक्षित अंतरिम वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन और समेकित) के साथ-साथ कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों अर्थात् प्रेम गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और चोकसी और चोकसी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।

2. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10/-रु. प्रत्येक के प्रदत्त इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य पर 35% की दर से 3.50/-रु. (मात्र तीन रुपए पचास पैसा) प्रति इक्विटी शेयर (टीडीएस की कटौती के अध्यधीन) की दूसरे अंतरिम लाभांश की घोषणा।

   इसके अतिरिक्त, सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दूसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए शेयरधारकों की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 20.02.2024 (मंगलवार) को 'रिकॉर्ड तिथि' मानी जाएगी।

उपर्युक्त अंतरिम लाभांश के भुगतान/प्रेषण की तारीख 09.03.2024 को या उससे पहले होगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के पक्ष में कर योग्य है और कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) काटना आवश्यक है। हालांकि, यदि कोई शेयरधारक चाहता है कि उसका कर कम दरों पर काटा जाए या आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कोई कर नहीं काटा जाए, तो उसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पैन, फॉर्म 15जी/15एच और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति निम्नलिखित लिंक पर जमा करनी चाहिए। https://ris.kfintech.com/form15/forms.aspx?q=0

बोर्ड की बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई और दोपहर 3.00 बजे समाप्त हुई।

आपकी जानकारी और रिकार्ड हेतु।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com